

न्यायालय सहायक कलक्टर चौमूं जिला-जयपुर

पीठासीन अधिकारी :- श्रीमती श्यामा राठौड(R.A.S.)

मुकदमा नं0:-09/2019

उनवान

रक्षा पत्नि झाबरमल जाति जाट, निवासी आशुतोष नगर, इन्दिरा कॉलोनी, कस्बा चौमूं, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

-वादीया

बनाम

1. ग्यारसीलाल पुत्र रामू, जाति अहीर
2. रामेश्वर पुत्र रामू, जाति अहीर
समस्त निवासी ग्राम स्याउ, तहसील चौमूं, जिला जयपुर
3. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार, तहसील चौमूं, जिला जयपुर
4. बैंक ऑफ महाराष्ट्र, जरिये शाखा प्रबन्धक गोविन्दगढ, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

-प्रतिवादीगण


वाद बाबत तकासमा

निर्णय

दिनांक :- 13.02.2020

पत्रावली पेश हुई। व0 वादीया उपस्थित। वकील वादीया की बहस सुनी गई। वकील वादीया ने प्राप्त कुर्रैजात रिपोर्ट दिनांक 03.01.2020 पर सहमति जताई एवं वाद को अन्तिम डिक्री करने का निवेदन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात, प्राप्त कुर्रैजात रिपोर्ट का गहनता से अवलोकन किया गया व बहस पर मनन किया गया। वादपत्र तकासमा का है तथा खातेदारों का रिकार्ड एवं मौके के अनुसार तकासमा किया जाना है। कुर्रैजात रिपोर्ट के अवलोकन से स्पष्ट है कि कुर्रैजात प्रस्ताव सभी काशतकारों के रिकार्ड व मौके के अनुसार व रास्ते की सुविधा को ध्यान में रखते हुए बनाये गये हैं। जो न्यायालय के आदेशानुसार बनाये गये हैं, जिसमें कोई त्रुटी नहीं पायी गई है। अतः मुताबिक कुर्रैजात रिपोर्ट दिनांक 03.01.2020 के अनुसार वाद अन्तिम डिक्री किया जाता है एवं विवादित भूमि आराजी खसरा नम्बरान 890 रकबा 0.56 हैक्टेयर भूमि वाके ग्राम स्याउ, पटवार हल्का धोबलाई, तहसील चौमूं जिला जयपुर का मुताबिक कुर्रैजात रिपोर्ट दिनांक 03.01.2020 के अनुसार निम्नप्रकार से बंटवारा किया जाता है:-

3. रक्षा पत्नी झाबरमल जाति जाट सा. आशुतोष नगर इन्दिरा कॉलोनी चौमूं खातेदार के हिस्से में खसरा नम्बर 890/2 रकबा 0.1866 हैक्टेयर कुल किता


सहायक कलक्टर
चौमूं (जयपुर)


मु0सं0-09/2019
उनवान-रक्षा बनाम ग्यारसीलाल वगै0
निर्णय दिनांक:-13.02.2020

1 का कुल रकबा 0.1866 हैक्टेयर भूमि प्राप्त होकर कब्जे में रहेगी जो संलग्न नजरी नक्शे में हरे रंग से दर्शायी गयी है।

4. रामेश्वर पुत्र रामू हिस्सा 1/2 जाति अहीर राहिन बैंक ऑफ महाराष्ट्र शाखा चौमूं ग्यारसीलाल पुत्र रामू हिस्सा 1/2 जाति अहीर सा0देह खातेदार के हिस्से में खसरा नम्बर 890/1 रकबा 0.3734 हैक्टेयर कुल किता 1 का कुल रकबा 0.3734 हैक्टेयर भूमि प्राप्त होकर कब्जे में रहेगी जो संलग्न नजरी नक्शे में नारंगी रंग से दर्शायी गयी है।

अंतिम डिक्री जारी हो। नजरी नक्शा डिक्री व निर्णय का जुज रहेगा। पत्रावली फौसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम तथा दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 13.02.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।


सहायक कलक्टर
सहायक कलक्टर
चौमूं (गुजपुर)

डिक्री मुकदमा इब्तदाई
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)
न्यायालय सहायक कलेक्टर चौमूं, जिला-जयपुर
पीठासीन अधिकारी :- श्रीमती श्यामा राठौड (R.A.S.)

मुकदमा नं0:-09/2019

उनवान
रक्षा पत्नी झाबरमल जाति जाट, निवासी आशुतोष नगर, इन्दिरा कॉलोनी, कस्बा
चौमूं, तहसील चौमूं, जिला जयपुर

-वादीया

बनाम

1. ग्यारसीलाल पुत्र रामू जाति अहीर
2. रामेश्वर पुत्र रामू जाति अहीर
समस्त निवासी ग्राम स्याउ, तहसील चौमूं, जिला जयपुर
3. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार, तहसील चौमूं, जिला जयपुर
4. बैंक ऑफ महाराष्ट्र, जरिये शाखा प्रबन्धक गोविन्दगढ़, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

-प्रतिवादीगण


दावा बाबत तकासमा

अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

ये मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कई रूबरू हाजरी वकील वादीया मिनजामिन मुददई रूबरू श्रीमती श्यामा राठौड आरएएस मिनजामिन मुददायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि-

विवादित भूमि आराजी खसरा नम्बरान 890 रकबा 0.56 हैक्टेयर भूमि वाके ग्राम स्याउ, पटवार हल्का धोबलाई, तहसील चौमूं जिला जयपुर का मुताबिक कुर्रैजात रिपोर्ट निम्नानुसार बंटवारा किया जाता है:-


1. रक्षा पत्नी झाबरमल जाति जाट सा. आशुतोष नगर इन्दिरा कॉलोनी चौमूं खातेदार के हिस्से में खसरा नम्बर 890/2 रकबा 0.1866 हैक्टेयर कुल किता 1 का कुल रकबा 0.1866 हैक्टेयर भूमि प्राप्त होकर कब्जे में रहेगी जो संलग्न नजरी नक्शे में हरे रंग से दर्शायी गयी है।
2. रामेश्वर पुत्र रामू हिस्सा 1/2 जाति अहीर राहिन बैंक ऑफ महाराष्ट्र शाखा चौमूं, ग्यारसीलाल पुत्र रामू हिस्सा 1/2 जाति अहीर सा0देह खातेदार के हिस्से में खसरा नम्बर 890/1 रकबा 0.3734 हैक्टेयर कुल किता 1 का कुल रकबा 0.3734 हैक्टेयर भूमि प्राप्त होकर कब्जे में रहेगी जो संलग्न नजरी नक्शे में नारंगी रंग से दर्शायी गयी है।


सहायक कलेक्टर
चौमूं (जयपुर)

निजीमबलिक बाबतखर्चा इस मुकदमे का मय सूद
वगैरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलियाय तक ...
..... को अदा करें।


बसरात मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत के आज तारीख 13.02.2020 को
जारी किया गया।

मोहर

दस्तखत 
सहायक कलक्टर
ओहदा...चौमूँ (जयपुर)

वाद के खर्चे

वादी		प्रतिवादी	
	रुपया		रुपया
1. स्टाम्प अर्जी दावा	2	1. स्टाम्प अर्जी दावा	
2. स्टाम्प वकालतनामा	1	2. स्टाम्प वकालतनामा	0
3. स्टाम्प वजह सबूत		3. महन्ताना वकील	
4. महन्ताना वकील		4. खर्चा गवाहन	
5. खर्चा गवाहन		5. फीस कमिश्नर	
6. फीस कमिश्नर		6.बाबत इजराय	
7.बाबत इजराय		हुक्मनामा	
हुक्मनामा		7.मुतफरिक	
8.मुतफरिक			
जोड़	3	जोड़	0


सहायक कलक्टर
चौमूँ (जयपुर)

